



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1101 / 1सी0 (वन)

दिनांक 17/8 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 04.08.2017


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 04.8.2017 द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत है:-

1	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the KML file/geo referenced map of the proposed CA area that 1.40 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No. FP/UK/ROAD/14464/2015. State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map, map in survey of india toposheet and suitability certificate ect.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी 8.00 हे0 भूमि क्षेत्रीय पटवारी की उपस्थिति में चिन्हित सीमा के अन्तर्गत ही Coordinates लिये गये है। तदोपरान्त ही जिओ- रिफेरन्स मैप बनवाया गया है। महोदय इस खण्ड के द्वारा कोऑर्डिनेट लेने में त्रुटि नहीं की गयी है एवं जिओ रिफेरन्स मैप चिन्हित स्थल के अनुसार सही है।
2	In the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online part-I, forest land has been shown against 4 villages namely: kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these villages except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये ग्राम काँचुला, बेराठ, गेनसंजकटा के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
3	State Govt. may also submit original har copy of the FRA certificate, geo referenced digital mpa of the forest land prosed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceedings of the District Level Committe, sub Divisional Level Committee and all Village Level committess.	एफ0आर0ए0, उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामस्तरीय समिति के प्रपत्र, जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न 1- एफ0आर0ए0 के सभी प्रमाण पत्र (पेज नं0 2-13) 2- जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, (पेज नं0 14) 3- टोपोशीट मैप, (पेज नं0 15) 4- क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र। (पेज नं0 16)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रपत्रों को मूल में अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

  
अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली) 17/8/17

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector Chamoli**

No---

Dated : 13-4-2015

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)' "Kanchula senz kata , Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Eucl: As above.**

  
जिलाधिकारी  
Signature चमोली

(Full name and official seal of the District Collector)


**ANNEXURE....**  
**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE**  
**DISTRICT Chamoli (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 13.04.2015 at time 14:00hrs. at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 5.260 hect for the construction of construction of new motor road "Kanchula-Gain" ( Praposed Lenth Km 7.200) and forest land 4.000 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place: Gopeshwar**  
**Dated: 13.04.2015**

  
जिलाधिकारी  
चमोली  
**District Magistrate-cum-Chairman**  
**District Level Committee**

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-मैदुरा भोर मार्ग से कांचुला  
गोन मो. प्रा. के नव निर्माण हेतु 1.680 हे. वन पंचायत, 2.100 हे. आरक्षित  
वन भूमि तथा मक. प्रियोजना हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे वन भूमि का लो. नि. वि.  
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को एस्तानो न्वरण।

ग्राम पंचायत का नाम डोडला/गोनोली  
तहसील कडा प्रमाण जिला बनोली।

उत्तराखण्ड में जनपद बनोली के अन्तर्गत सोनला-मैदुरा मो. प्रा. से कांचुला-मैन भोर मार्ग।  
के निर्माण हेतु (2.100 हे० आरक्षित वन भूमि, ~~X~~ हे० सिविल सोयम भूमि!! 680 हे०, तथा मक. प्रियोजना  
वन पंचायत भूमि डोडला हे०) अर्थात् कुल 4.000 हे० वन भूमि का लो. नि. वि. हेतु 0.220 हे.  
डोडला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोडला/गोनोली द्वारा दिनांक 10.3.15 को  
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
किया गया कि ग्राम पंचायत डोडला/गोनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
लो. नि. वि. डोडला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोर भाग से कांचुला-  
गैर मोर भाग के नव निर्माण हेतु 1.600 हे. वन पंचायत, 2.100 हे. आरक्षित  
वन भूमि तथा मक सिंजो जल हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे. वन भूमि का लो. नि. वि.  
कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कृष्णप्रयाग~~ को हस्तान्तरण।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~कृष्णप्रयाग~~

उपखण्ड ~~कृष्णप्रयाग~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~सोनला-मैखुरा मोर भाग से कांचुला गैर मोर भाग~~  
के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, X हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.600 हे0 ~~तथा मक सिंजो जल~~  
वन-पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.000 हे0 वन भूमि) का हेतु 0.220 हे.  
लो. नि. वि. गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~कृष्णप्रयाग~~) की दिनांक 25-3-15 को  
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
श्री \_\_\_\_\_, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~विवेक प्रसाद~~ उपजिलाधिकारी \_\_\_\_\_ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सुरेश प्रसाद~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी \_\_\_\_\_ सदस्य
- 3- श्री ~~मोहनरी शर्मा~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी \_\_\_\_\_ सदस्य / सचिव
- 4- श्री \_\_\_\_\_ बी0डी0सी0 क्षेत्र ~~जीमती सुधील शिव~~ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों के अर्द  
कि ~~राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोर भाग से कांचुला गैर मोर~~  
~~भाग के निर्माण हेतु 1.600 हे. वन पंचायत तथा~~ ~~परियोजना हेतु~~ ~~हे0~~ ~~वन~~  
~~2.100 हे. आरक्षित एवं मक सिंजो जल हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे. वन~~  
भूमि का लो. नि. वि. गौचर को हस्तान्तरण।

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

साहिबाल सिंह नेगी - सहायक क्षेत्र पर्यायल वनाधिकारी  
मालकेश्वरी उशीदि - सहायक क्षेत्र पंचायत - ~~कृष्णप्रयाग~~

## वद्वीनाथ वन प्रभाग जोधपुर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~व.प्र.अ.~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~सोनला - बैयपुरा, मोहरा बाग से कोणुला क्षेत्र~~ परियोजना के निर्माण हेतु 4.0000 हे० वन भूमि ~~लो.वि.वि. सोच~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—.....  
जनपद.....

जोधपुर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—.....  
जनपद.....

जोधपुर


प्रपत्र-23.1

दिनांक 10.3.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ..... गनोली .....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोरसिंह पुंडर	गोरसिंह
2	श्री. रघुनाथसिंह पुंडर	रघुनाथसिंह
3	" महावीरसिंह "	Majhi
4	" पुष्करसिंह "	पुष्करसिंह
5	" अमरसिंह " (उपप्रधान) गनोली	अमरसिंह
6	" गोविंद सिंह "	गोविंदसिंह
7	श्रीमती गुडडी देवी " (उपप्रधान) गनोली	गुडडी देवी
8	श्री दानासिंह "	दानासिंह
9	" अकरसिंह "	अकरसिंह
10	" उरव्वलसिंह " (उपप्रधान) गनोली	उरव्वलसिंह
11	" सुरवारसिंह "	सुरवीरसिंह
12	श्रीमती कुन्ती देवी (उपप्रधान) गनोली	कुन्ती देवी
13	" देवेश्वरी देवी "	देवेश्वरी देवी
14	" शता देवी " उपप्रधान गनोली	शता देवी
15	श्री. बलवन्तासिंह शर्मा	बलवन्तासिंह
16	" गजपालसिंह "	गजपालसिंह
17	" जसपालसिंह पुंडर	जसपालसिंह
18	" रमेशसिंह "	रमेशसिंह
19	श्रीमती कुसुम देवी "	कुसुम देवी
20	" देवेश्वरी देवी II	देवेश्वरी देवी
21	" कामुनी देवी (नडसिंहस्य उक्त 3	कामुनी देवी
22	श्री. गवरासिंह कठेर	गवरासिंह
23	" कलमाणासिंह कठेर	कलमाणासिंह
24	" विनायक पुंडर	विनायक
25	" चन्दनासिंह कठेर	चन्दनासिंह

ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम-गौचुला  
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम खिजा द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.64 हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव अमर गवाल  
गा०पं०वि०अ०



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 08.05.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~मधुकेरी~~

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित कृषि ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2 युवाकर्म	बहुनाथ सिंह
2	अनवर सिंह	अनवर सिंह
3	अनवर सिंह	अनवर सिंह
4	अनवर सिंह	अनवर सिंह
5	अनवर सिंह	अनवर सिंह
6	अनवर सिंह	अनवर सिंह
7	अनवर सिंह	अनवर सिंह
8	अनवर सिंह	अनवर सिंह
9	अनवर सिंह	अनवर सिंह
10	अनवर सिंह	अनवर सिंह
11	अनवर सिंह	अनवर सिंह
12	अनवर सिंह	अनवर सिंह
12	अनवर सिंह	अनवर सिंह
13	अनवर सिंह	अनवर सिंह
14	अनवर सिंह	अनवर सिंह
15	अनवर सिंह	अनवर सिंह
16	अनवर सिंह	अनवर सिंह
17	अनवर सिंह	अनवर सिंह

ग्राम पंचायत मधुकेरी  
हस्ताक्षर  
दिनांक  
हो/-  
ग्राम प्रधान (पिनकोली)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कौंचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम - काचुला  
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कौंचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम डा० ६६ द्वारा दिनांक ३१.१०.१७ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को ०.८४ हे० वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव ग०एम० बगवाल  
या०पं०वि०अ०

  
ग्राम प्रधान

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - (आयल)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हमदा सिंह	हमदा सिंह
2	पदम सिंह	पदम सिंह
3	दरवीर सिंह	दरवीर सिंह
4	उमर सिंह	उमर सिंह
5	बाग सिंह	बाग सिंह
6	मन सिंह	मन सिंह
7	उमर सिंह	उमर सिंह
8	गोविंद सिंह	गोविंद सिंह
9	राम सिंह	राम सिंह
10	पुन सिंह	पुन सिंह
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	नरम सिंह	नरम सिंह
13	आनंद सिंह	आनंद सिंह
14	मनमोहन सिंह	मनमोहन सिंह
15	विनायक सिंह	विनायक सिंह
16	दरवीर सिंह	दरवीर सिंह
17	मोहन सिंह	मोहन सिंह



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम - तेराठ  
तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे० आरक्षित / वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे० कुल 4.000 हे० आरक्षित / वनपंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम तेराठ द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिधत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.86 हे० वन पंचायत भूमि-प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव अमर जगवाल  
गा०प०वि०अ०




नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



# डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



**Starting Point**  
 79° 17' 12.303" E  
 30° 16' 11.915" N

**Ending Point**  
 79° 18' 34.114" E  
 30° 14' 43.314" N

**Intermediate Points:**  
 79° 17' 32.316" E  
 30° 15' 34.506" N  
 79° 17' 26.562" E  
 30° 15' 35.796" N  
 79° 17' 46.520" E  
 30° 15' 8.680" N

**Administrative Regions:**  
 Nandprayag Range  
 Badrinath F.D.  
 Pindar West-Range  
 Badrinath F.D.

## Legend

- Muck Disposal
- Proposed\_Road
- Alternate Road
- Existing\_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी  
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
 (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी  
 नन्दप्रयाग रेंज  
 बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

*[Signature]*  
 J.E


*[Signature]*  
 सहायक अभियन्ता  
 अस्थाई रा. मो. के  
 मैटर (चमोली)

*[Signature]*  
 अधिशासी अभियन्ता  
 अस्थाई स.प. लो. वि. वि.  
 जीवर

# जियो रेफेरेंस मैप :- जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला - गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Scale - 1:16,000



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 17' 12.303" E	30° 16' 11.915" N
2	79° 17' 14.256" E	30° 16' 6.369" N
3	79° 17' 12.282" E	30° 15' 57.284" N
4	79° 17' 16.800" E	30° 15' 55.827" N
5	79° 17' 21.139" E	30° 15' 56.389" N
6	79° 17' 14.235" E	30° 15' 52.998" N
7	79° 17' 13.247" E	30° 15' 46.151" N
8	79° 17' 8.734" E	30° 15' 40.700" N
9	79° 17' 11.212" E	30° 15' 34.300" N
10	79° 17' 17.837" E	30° 15' 32.175" N
11	79° 17' 23.767" E	30° 15' 35.459" N
12	79° 17' 27.208" E	30° 15' 41.603" N
13	79° 17' 31.261" E	30° 15' 37.384" N
14	79° 17' 35.048" E	30° 15' 37.096" N
15	79° 17' 28.180" E	30° 15' 40.147" N
16	79° 17' 32.316" E	30° 15' 34.506" N
17	79° 17' 26.562" E	30° 15' 35.796" N
18	79° 17' 32.285" E	30° 15' 31.216" N
19	79° 17' 32.454" E	30° 15' 24.485" N
20	79° 17' 33.394" E	30° 15' 17.359" N
21	79° 17' 36.010" E	30° 15' 12.845" N
22	79° 17' 43.969" E	30° 15' 13.510" N
23	79° 17' 46.883" E	30° 15' 6.892" N
24	79° 17' 52.926" E	30° 15' 3.404" N
25	79° 17' 58.577" E	30° 15' 8.295" N
26	79° 18' 2.664" E	30° 15' 3.037" N
27	79° 18' 10.864" E	30° 15' 6.928" N
28	79° 18' 12.081" E	30° 15' 3.080" N
29	79° 18' 19.704" E	30° 14' 55.949" N
30	79° 18' 29.109" E	30° 15' 3.849" N
31	79° 18' 28.554" E	30° 15' 2.352" N
32	79° 18' 31.217" E	30° 15' 2.286" N
33	79° 18' 34.433" E	30° 14' 55.999" N
34	79° 18' 34.677" E	30° 14' 49.552" N
35	79° 18' 34.114" E	30° 14' 43.314" N

GPS Points of Muck Disposal Site		
ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 17' 13.010" E	30° 15' 58.530" N
C	79° 17' 15.690" E	30° 15' 53.210" N
B	79° 17' 18.790" E	30° 15' 56.080" N
D	79° 17' 26.080" E	30° 15' 40.520" N
F	79° 17' 42.090" E	30° 15' 14.870" N
G	79° 17' 46.520" E	30° 15' 8.680" N
E	79° 17' 32.880" E	30° 15' 30.750" N
H	79° 18' 29.110" E	30° 15' 2.920" N

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली).

वन अधिकारी  
नन्दप्रकाश रंज

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


### Legend

- Muck Disposal
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

*(Handwritten signatures and initials)*

# डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम

0 0.5 1 1.5 2 Km



## Legend

-  Existing\_Road
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary

**वन क्षेत्राधिकारी  
नन्दप्रयाग रेंज  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर**


**प्रशासकीय वन अधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)**

*Sona*  
J/E


**सहायक अभियन्ता  
अवधारणाएं, चमोली, वि०  
भेदा (चमोली)**

**अभियन्ता अभियन्ता  
अवधारणाएं चमोली वि०  
गौड**

जियो रेफेरेंस मैप :- जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला - गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम



Scale - 1:3,000



ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 16' 50.227" E	30° 14' 41.605" N
2	79° 16' 48.035" E	30° 14' 39.005" N
3	79° 16' 49.141" E	30° 14' 38.018" N
4	79° 16' 50.199" E	30° 14' 37.444" N
5	79° 16' 52.379" E	30° 14' 37.428" N
6	79° 16' 54.586" E	30° 14' 35.199" N
7	79° 16' 59.819" E	30° 14' 33.493" N
8	79° 17' 5.644" E	30° 14' 39.041" N
9	79° 17' 0.217" E	30° 14' 40.478" N
10	79° 16' 58.435" E	30° 14' 41.970" N
11	79° 16' 56.232" E	30° 14' 43.326" N
12	79° 16' 53.136" E	30° 14' 44.406" N

प्रभागीय वनधिकारी  
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर  
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी  
नन्दप्रयाग रेंज  
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

J.E

A.E

E.E